

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.18(6)एम.ई./ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक: 02 AUG 2022

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जयपुर।

विषय:- ऑर्थोपेडिक्स विशिष्टता में स्वीकृत पदों में से आचार्य 01 पद, सह आचार्य 01 पद एवं सहायक आचार्य 01 पद (कुल 03 पदों) को स्पोर्ट्स मेडिसिन विशिष्टता में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में ऑर्थोपेडिक्स विशिष्टता में स्वीकृत पदों में से आचार्य 01 पद, सह आचार्य 01 पद एवं सहायक आचार्य 01 पद (कुल 03 पदों) को स्पोर्ट्स मेडिसिन विशिष्टता में आचार्य 01 पद, सह आचार्य 01 पद एवं सहायक आचार्य 01 पद (कुल 03 पदों) में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152200909 दिनांक 26.07.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(इकबाल खान)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट) विभाग।
5. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव